न्यायालय न्यायकर्ता,नवादा
<u>T.S – 756/ 2022</u>
C.I.S -756/ 2022

05.02.2024 वादी की हाजिरी नहीं है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद दिनांक 05.11.2022 को न्यायालय में न्याय हेतु लाया गया है। दिनांक 28.01.2023 को सिरिस्तेदार का प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा सिरिस्तेदार के प्रतिवेदनानुसार आज तक न्यायशुल्क एवं वाद से संबंधित कागजात दाखिल नही किया गया है। न्यायालय द्वारा बार बार न्यायशुल्क एवं वाद से संबंधित कागजात दाखिल करने हेतु निर्देश देने के बावजूद भी वादी न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही कर रहे है। आज वादी की ओर से किसी प्रकार की हाजिरी एवं पैरवी नही है। बार बार पुकार पर भी वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही हुए और ना ही कोई समयावेदन पत्र दाखिल किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी को वाद चलाने में कोई अभिरूचि नहीं रह गई है। अतः ऐसी परिस्थिति में वाद को अकारण लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायशुल्क एवं वाद से संबंधित कागजात दाखिल नही करने के कारण वाद को **खारिज** किया जाता है। कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

SD/-
न्यायकर्ता